न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारीः—गौरव कुमार मित्तल (आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
84/2025	13.06.2025	28/1/2026

1. ग्राम पंचायत रांवल जरिये सरपंच बजरंगी पत्नी कन्हैयालाल मीणा निवासी ग्राम रावल तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

वादी

बनाम

1. लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

प्रतिवादी

दावा बावत घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः—

1. श्री विनोद कुमार अग्रवाल एड0 वादी की ओर से।

:— निर्णय —:

वादीगण ने जरिये वकील एक दावा बावत घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि वादीया ग्राम पंचायत रांवल की विधिवत चुनी गई सरपंच है कि जिसे ग्राम पंचायत की सम्पत्ति बाबत न्यायालय में यह दावा पेश करने अख्तियार हांसिल है। आराजी खसरा नम्बर 4212/2839 रकबा 2.52 हेक्टर ग्राम रांवल तहसील व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है जो रेवन्यू रिकार्ड में गै०मु०चरागाह के रूप में दर्ज है। लेकिन ये इन्द्राजात मौके के विपरीत है। खसरा नम्बर 4212/2839, रकबा 2.52 हैक्टर में मौके पर ग्राम रांवल की आबादी सैकडो वर्षो से बसी हुई है एंव यह रकबा सम्पूर्ण रुप से आबादी के उपयोग में आ रहा है इसी प्रकार खसरा नम्बर 2839/1 रकबा 3.78 हेक्टर भूमि वाके ग्राम रांवल तहसील व जिला सवाई माधोपुर राजस्व रिकार्ड में गें०मु० आबादी दर्ज है लेकिन यह भूमि खाली पडी है जिसमें कोई आबादी मौके पर नहीं है। इस प्रकार रेवन्यू रिकार्ड बिना मौके को देखे बनाया गया है। रेवन्यू रिकार्ड मौके विपरीत होने के कारण ग्राम पंचायत को आबादी भूमि बाबत पट्टे, नियमन, आवंटन आदि कार्यों में अत्याधिक परेशानी आ रही है क्योंकि मौके के अनुसार आबादी बसी होने पर भी रेवन्यू रिकार्ड में हो रहे गलत इन्द्राजात के कारण ग्राम पंचायत आबादी बाबत पट्टे, नियमन आवंटन की कार्यवाही नहीं कर पा रही है जिससे ग्राम में काफी रोष है। वादी ने जब इस बाबत दिनांक 11.6.2025 को मौका देखकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो उन्होंने इन्कार कर दिया व कहा कि सक्षम न्यायालय ही ऐसा कर सकता है लिहाजा वादी को यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय के जरिये मौका अनुसार खसरा नम्बर 4212/2839 रकबा 2.52 हेक्टर को ग्राम रावल की किस्म चरागाह से हब्ज

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

करके खसरा नम्बर 2839/1 रकबा 3.78 हेक्टर भूमि वाके ग्राम रावल में से 2.52 हेक्टर भूमि चरागाह के रुप में रेवन्यू रिकार्ड में दर्ज करवाने व खसरा नम्बर 4212/2839 रकबा 2.52 हेक्टर भूमि वाके ग्राम रावल को रेवन्यू रिकार्ड में गै०मु० आबादी के रुपमें दर्ज करवाकर समस्त रेवन्यू रिकार्ड व रिकार्ड ऑफ राईटस को दुरूस्त करवावे। बिनाय दावा दिनांक 11.6.2025 को प्रतिवादी द्वारा रेवन्यू रिकोर्ड में मौके के विपरीत हो रहे इन्द्राज को दरूस्त करने से अन्दर हदूद अदालत वाला पैदा हुआ है। दावा तहत धारा 88,91, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 4 /– रुपये कीकोर्ट फीस पर अन्दर म्याद पेश है । दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावेंघोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि आराजी खसरा नम्बर4212/2839 रकबा 2.52 हेक्टर को ग्राम रांवल तहसील व जिलासवाई माधोपुर की किस्म मौका अनुसार वादी गै०मु० चरागाह के स्थान पर गै०मु० आबादी दर्ज करवाने का अधिकारी है इसी प्रकार खसरा नम्बर 2839/1 रकबा 3.78 हेक्टर वाके ग्राम रावल तहसील व जिला सवाईमाधोपुर में से 2.52 हेक्टर भूमि कि किस्म गै०मु० आबादी के स्थान पर चरागाह दर्ज करवाने का अधिकारी है। आराजी खसरा नम्बर 4212/2839 रकबा 2.52 हैक्टर गै०मु०चरागाह वाके ग्राम रावल तहसील व जिला सवाई माधोपुर की किस्म गै०मु० आबादी व खसरा नम्बर 2839/1 रकबा 3.78 हेक्टर गै०मु०आबादी में से 2.52 हैक्टर भूमि वाके ग्राम रावल तहसील व जिला सवाई माधोपुर की किस्म गै०मु० आबादी दर्ज रिकार्ड फरमाई जाकर समस्त रेवन्यू रिकार्ड व रिकार्ड ऑफ राईटस को दुरूस्त फरमाया जावें ।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की जरिये नोटिस तलबी की गयी। प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक जमाबंदी ग्राम रावल सम्वत 2073–76 के खसरा नंबर 4212/2839 रकबा 2.52 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह खाता संख्या 648 पर चारागाह हिस्सा पूर्ण चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु दर्ज रिकार्ड है व खसरा नंबर 2839/1 रकबा 3.78 है0 किस्म गै0मु0 आबादी खाता संख्या 649 पर ग्राम पंचायत रावल हिस्सा पूर्ण संस्था के लिये दर्ज है। नकल जमाबंदी संलग्न है। मुताबिक मौका स्थिति के खसरा नंबर 2839/1 रकबा 3.78 है0 में चारागाह व खसरा नंबर 4212/2839 रकबा 2.25 है0 में आबादी स्थित है। सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाईन नक्शा शीट मे तरमीम करते समय मौका स्थिति के विपरीत तरमीम कर दी गई है जिसके कारण जमाबंदी एवं नक्शे में भिन्नता उत्पन्न हो गई है। अतः ऑनलाईन नक्शा शीट में खसरा नंबर 4212/2839 किया जाना उचित होगा। इस परिवर्तन से राजस्व रिकार्ड में चारागाह के रकबे में कमी बेशी नहीं होगी।

प्रकरण में वकील वादी की बहस सूनी। वकील वादी ने अपने वाद पत्र के अनुसार बहस करते हुऐ बताया है कि आराजी खसरा नम्बर 4212/2839 रकबा 2.52 हेक्टर ग्राम रांवल तहसील व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है जो रेवन्यू रिकार्ड में गै०मु०चरागाह के रूप में दर्ज है। लेकिन ये इन्द्राजात मौके के विपरीत है। खसरा नम्बर 4212/2839, रकबा 2.52 हैक्टर में मौके पर ग्राम रांवल की आबादी सैकडो वर्षो से बसी हुई है एंव यह रकबा सम्पूर्ण रुप से

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

आबादी के उपयोग में आ रहा है इसी प्रकार खसरा नम्बर 2839/1 रकबा 3.78 हेक्टर भूमि वाके ग्राम रांवल तहसील व जिला सवाई माधोपुर राजस्व रिकार्ड में गैoमुo आबादी दर्ज है लेकिन यह भूमि खाली पडी है जिसमें कोई आबादी मौके पर नहीं है। इस प्रकार रेवन्यू रिकार्ड बिना मौके को देखे बनाया गया है। अतः खसरा नम्बर 4212/2839 रकबा 2.52 हेक्टर को ग्राम रावल की किस्म चरागाह से हब्ज करके खसरा नम्बर 2839/1 रकबा 3.78 हेक्टर भूमि वाके ग्राम रावल में से 2.52 हेक्टर भूमि चरागाह के रुप में रेवन्यू रिकार्ड में दर्ज करवाने व खसरा नम्बर 4212/2839 रकबा 2.52 हेक्टर भूमि वाके ग्राम रावल को रेवन्यू रिकार्ड में गैoमुo आबादी के रुपमें दर्ज करवाकर समस्त रेवन्यू रिकार्ड व रिकार्ड ऑफ राईटस को दुरूस्त करने की कृपा करें।

प्रकरण मे वकील वादी की बहस का मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक जमाबंदी ग्राम रावल सम्वत 2073–76 के खसरा नंबर 4212/2839 रकबा 2.52 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह खाता संख्या 648 पर चारागाह हिस्सा पूर्ण चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु दर्ज रिकार्ड है व खसरा नंबर 2839/1 रकबा 3.78 है0 किस्म गै0मु0 आबादी खाता संख्या 649 पर ग्राम पंचायत रावल हिस्सा पूर्ण संस्था के लिये दर्ज है। मुताबिक मौका स्थिति के खसरा नंबर 2839/1 रकबा 3.78 है0 में चारागाह व खसरा नंबर 4212/2839 रकबा 2.25 है0 में आबादी स्थित है। सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाईन नक्शा शीट मे तरमीम करते समय मौका स्थिति के विपरीत तरमीम कर दी गई है जिसके कारण जमाबंदी एवं नक्शे में भिन्नता उत्पन्न हो गई है। ऑनलाईन नक्शा शीट में खसरा नंबर 4212/2839 किया जाना उचित होगा। इस परिवर्तन से राजस्व रिकार्ड में चारागाह के रकबे में कमी बेशी नहीं होगी। प्रकरण में ऑनलाईन सेग्रीगेशन की गलती होने के कारण प्रकरण को स्वीकार किया जाना उचित है।

:– कियात्मक आदेश –:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिया जाता है कि ऑनलाईन नक्शा शीट में राजस्व ग्राम रांवल में स्थित खसरा नम्बर 4212/2839 के स्थान पर 2839/1 एवं खसरा नम्बर 2839/1 के स्थान पर 4212/2839 किया जावें। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें। तद्नानुसार डिकी जारी की जावें। निर्णय आज दिनांक 28/1/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हो।

(गौरव कुमार मित्तल)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

मु0न0 :– 84 / 2025 उनवानः– ग्राम पंचायत रांवल जरिये संरपच बनाम सरकार कि0मु0:– दावा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय <u>उप जिला कलेक्टर</u> स्थान <u>सवाई माधोपुर</u>

ग्राम पंचायत रांवल जरिये सरपंच बजरंगी पत्नी कन्हैयालाल मीणा निवासी ग्राम रावल तहसील व जिला सवाई माधोपुर। **बनाम** सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते सवाई माधोपुर

मु0न0 84 सन् 2025

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की और से श्री विनोद कुमार अग्रवाल एड0 और प्रतिवादी की और सरकार जरिये तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 28/1/2026 को श्री गौरव कुमार मित्तल (आर.ए.एस) के समक्ष निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया गया जाता है और अन्तिम डिकी दी जाती है कि *वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिया जाता है कि ऑनलाईन नक्शा शीट में राजस्व ग्राम रांवल में स्थित खसरा नम्बर 4212/2839 के स्थान पर 2839/1 एवं खसरा नम्बर 2839/1 के स्थान पर 4212/2839 किया जावें। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।*

इस बाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 28/1/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वाद के खर्चे

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	शक्ति पद के लिए स्टाम्प	00.00	
2	शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00.00	
3	प्रदेशाके लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	0.00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	0.00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00.00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	0.00	
7	आदेशिका की तामील	01	00			
	जोड	05.00	00	जोड	00.00	